



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102025-266850
CG-DL-E-10102025-266850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4511]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 4511]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4640(अ).—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना है:—

आदेश

वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) में निहित उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राष्ट्रपति दिनांक 31 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 दिसंबर, 2023 के आदेश संख्या का.आ. 5533 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, नामतः:

उक्त आदेश में:-

- (क) पैराग्राफ 3 में, "31 अक्टूबर, 2025" आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों को, "30 नवंबर, 2025" आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) पैराग्राफ 5 में, "31 अक्टूबर, 2025" आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों को "30 नवंबर, 2025" आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

हस्ता./-
द्रौपदी मुर्मू
भारत की राष्ट्रपति

कैम्प: सासन गिर, गुजरात

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025

[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2025]

व्यासन आर., संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2025

S.O. 4640(E).—The following order made by the President is to be published for general information:—

ORDER

In pursuance of powers under clause (1) of article 280 of the Constitution, read with the provisions contained in the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to make the following amendments in the Order number S.O. 5533 (E), dated the 31st December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st December, 2023, namely:-

In the said order:-

- (a) in paragraph 3, for the figures, letters and words "31st day of October, 2025", the figures, letters and words, "the 30th day of November, 2025" shall be substituted;
- (b) in paragraph 5, for the figures, letters and words "31st day of October, 2025", the figures, letters and words "the 30th day of November, 2025" shall be substituted.

Sd/-
DROUPADI MURMU
President of India

Camp: Sasangir, Gujarat

Dated the 10th October, 2025

[F. No. 10(1)-B(S)/2025]

VYASAN R., Jt. Secy. (Budget)